झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 1012/2017

चंद्रशेखर पोद्दार, पिता- स्व. लक्ष्मी नारायण पोद्दार, ग्राम-नया बस्ती बागबेरा, पोस्ट-बागबेरा, थाना-टाटानगर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

1. झारखंड राज्य (सचिव के माध्यम से), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार, रांची, परियोजना भवन, एचईसी टाउनशिप, पोस्ट एवं थाना धुरवा, जिला-रांची
2. आयुक्त, सिंहभूम, कोल्हान डिवीजन, चाइबासा, पोस्ट एवं थाना-चाइबासा, जिला-पश्चिमी सिंहभूम
3. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जिसका कार्यालय कचहरी परिसर, जमशेदपुर, पोस्ट एवं थाना साकची, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में है,
4. उप समाहर्ता (स्थापना), पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जिसका कार्यालय साकची, पोस्ट एवं थाना साकची, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में है,
5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पोटका, जिसका कार्यालय पोटका पोस्ट -पोटका जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में है..... उत्तरदाता

कोरम:माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमथ पटनायक

--- -

याचिकाकर्ता के लिएः श्री धनंजय कुमार पाठक और श्री आकाश दीप, अधिवक्तागण

उत्तरदाताओं के लिएः जीपीआई का जेसी

--- -

03/ **(12.03.2017 से 19.03.2017)**

प्रमथ पटनायक, न्याया0 के अनुसार

संलग्न रिट आवेदन में, याची ने अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रार्थना की है कि, संबंधित प्राधिकारियों के दिनांक 06.10.2016 के उस आदेश को रद्द किया जाए, जिसमें याची के वेतन से 6,31,017.24 रुपये के समायोजन का आदेश दिया गया है तथा प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारा दिनांक 04.11.2016 को जारी उस आदेश को भी रद्द किया जाए, जिसके तहत संबंधित प्राधिकारियों ने याची से इस अपील के लंबित होने तक वेतन से वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी है। इसके अलावा प्रत्यर्थी सं. 2 को यह भी निर्देश दिया

जाए कि वे दिनांक 20.5.2013 के आदेश के खिलाफ दायर अपील का निपटान करें। साथ ही विभागीय अपील के निपटान होने तक वसूली के आदेश पर रोक लगाई जाए।

2. याची के विद्वत वकील ने निवेदन किया है कि याची ने अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रभाग के समक्ष दिनांक 20.5.2013 के आदेश के विरुद्ध 27.06.2013 को अपील दायर की है, जो अभी भी लंबित है।कुछ तर्कों के साथ, याचिकाकर्ता के विद्वत वकील ने निवेदन किया है कि यदि अपीलीय प्राधिकारी को निश्चित समय के भीतर अपील का निपटान करने का निर्देश जारी कर दिया जाए और अपील के निपटान होने तक वसूली पर रोक लगा दी जाए तो याची की शिकायत का निवारण हो जाएगा।

3. प्रत्यर्थियों के विद्वत अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वत वकील द्वारा की गई प्रार्थना पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं जताई।

4. दोनों पक्षों के विद्वत अधिवक्ताओं के तर्कों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष की जांच किए बिना, अपीलीय प्राधिकारी-प्रत्यर्थी नं. 2 को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर अपील का निपटान करें। इस निर्देश के साथ ही रिट आवेदन का निपटान करना उपयुक्त होगा। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिया जाता है कि जब तक अपील का निपटान नहीं हो जाता, वसूली के आक्षेपित आदेश पर रोक लगाई जाती है।

6. उक्त निर्देश के साथ, रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

(प्रमथ पटनायक, न्याया0)

अलंकार/-